ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री बलदेव चंद प्राशर	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री लेख राज	01.04.2022 से 25.07.2022
2	श्री अश्वनी कुमार	25.07.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ब्रांग के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.49
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	26.08
3	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.13
4	8(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.02
5	09(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.52
6	09(ङ)	क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना	0.65
7	09(च)	पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय का अधिक भुगतान करने बारे	0.02

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27-07-2024 से 05-08-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**10/22**	**03/23**
2023-24	**12/23**	**02/24**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-445 दिनांक 05.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत ब्रांग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(i) **स्वः स्त्रौत व अन्य अनुदान:-** ग्राम पंचायत ब्रांग के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्वः स्त्रौत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	3855131.02	604735	4459866.02	3402168	1057698.02
2023-24	1057698.02	530741	1588439.02	436000	1152439.02

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **1152439.02**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	**Account No.**	**Name of Head**	**Closing balance as on 31.03.2024**
H.P State Co-Operative Bank, Dharampur	30910103802	Own Source & other grants	733612.62
H.P Gramin Bank, Chattar	87490100064519	14^{TH} FC	156514
H.P Gramin Bank, Chattar	87490100001486	Dev work	311669.40
		Total	**1201796.02**

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व: स्त्रोत व अनुदान :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**1152439.02**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	1201796.02
अन्तर की राशि	**49357.00**

(ii) 15 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत ब्रांग के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रोत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	965016	912364	1877380	128315	1749065
2023-24	1749065	167156	1916221	460796	1455425

Bank Reconcilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1455425		
add:- interest of Rs 7393 taken in pass book as on 02.09.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 8583 taken in pass book as on 06.12.2022 but not taken in cash book,interst of Rs 10165 taken in pass book as on 02.03.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12003 taken in pass	74290		**1529715**

book as on 03.06.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12533 taken in pass book as on 02.09.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12089 taken in pass book as on 05.12.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 11524 taken in pass book as on 04.03.2024 but not taken in cash book			
Balance as per Pass book A/C No. 87491700079444			**1529715**
Net Difference			**Nill**

(iii) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	4499225.7	0	4499225.7	4499225.7
2023-24	0	8145307.05	0	8145307.05	8145307.05

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.49 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹49,357** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

5. **(क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना:-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत ब्रांग के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) अनुदान ₹26.08 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत ब्रांग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 26,07,864.02 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i),4(ii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत ब्रांग द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गई है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर के सम्बंध में अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है । अतः दिनांक 01.04.22 से 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी । सचिव ग्राम पंचायत ब्रांग को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-428 दिनाँक 29.07.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा । अतः गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) दुकान किराए की वसूली रजिस्टर व अनुबंध तैयार न करने बारे :-

पंचायत की स्वः स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकान किराए की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है और न ही अनुबंध पत्र तैयार किए गए है । अतः दिनांक 01.04.22 से 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी । सचिव ग्राम पंचायत ब्रांग को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-429 दिनांक 29.07.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि दुकान किराए की मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा व दुकान मालिकों से अनुबंध पत्र तैयार किया जाएगा । अतः दुकान किराए का मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि:-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, तो उसके अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे कि यह पता लगाया जाता कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जानी थी।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई. /एस.ए.डी./2024-435 दिनांक-01.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

(घ) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली न करना:-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए ₹400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत ब्रांग द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹800 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि	प्राप्त राशि	अन्तर की राशि
1	65	प्रस्तुत नहीं की गई	जगदीश चंद सुपुत्र श्री चेत राम	26.02.24	26.03.24	200	शून्य	200
2	59	प्रस्तुत नहीं की गई	सारिका देवी सुपुत्री श्री राज कुमार	13.05.23	02.06.23	200	शून्य	200
3	57	प्रस्तुत नहीं की	देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री	22.02.23	08.03.23	200	शून्य	200

		गई	विचित्र सिंह					
4	56	प्रस्तुत नहीं की गई	सुनील कुमार सुपुत्र श्री लछमन	07.02.23	22.02.23	200	शून्य	200
	कुल योग							**800**

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-430 दिनांक 30.07.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा ।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पत्ति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फ़र्निचर व लैपटाप ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास

अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पत्तियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जोकि गंभीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-434 दिनांक 31.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. **(क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.13 लाख का अधिक भुगतान करना :-**

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹13194 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मिट्रीक टन)	रॉयल्टी (प्रति मिट्रीक टन)	राशि (₹)
	14TH FC								
1	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	56/25.03.23	रेत	19593	9.00	1.62	14.58	80	1166
2	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	56/25.03.23	बजरी	36669	17.00	1.52	25.84	80	2067
3	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	58/25.03.23	रेत	16327	7.50	1.62	12.15	80	972
4	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	58/25.03.23	बजरी	32355	15.00	1.52	22.80	80	1824
5	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	69/27.03.23	रेत	16327	7.50	1.62	12.15	80	972
6	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	69/27.03.23	बजरी	32355	15.00	1.52	22.80	80	1824
7	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील	69/27.03.23	बोल्डर	6600	4.00	2.24	8.96	80	717

	धर्मपुर								
8	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	70/27.03.23	रेत	14150	6.50	1.62	10.53	80	842
9	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	70/27.03.23	बजरी	27610	12.80	1.52	19.46	80	1556
10	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	70/27.03.23	बोल्डर	11690	7.00	2.24	15.68	80	1254
									13194

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/ एस.ए.डी./2024-442 दिनांक 03.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.01 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत ब्रांग द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 472 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	सामान्य निधि						
1	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	171/02.03.23	FFC/2022-23/पी/35	जेसीबी कार्य	29900	1.00%	299
2	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	175/15.03.23	FFC/2022-23/पी/50	जेसीबी कार्य	17250	1.00%	173
							472

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-443 दिनांक-03.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.52 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की

औपचारिकताएं प्रावधित हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹ 52227 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**बिल संख्या**	**शीर्ष**	**आपूर्तिकर्ता**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**
1	325	14TH FC	शर्मा स्टेस्नरी मार्ट धर्मपुर	स्टेस्नरी आइटम	2770
2	322	14TH FC	शर्मा स्टेस्नरी मार्ट धर्मपुर	स्टेस्नरी आइटम	5628
3	008/25.01.23	14TH FC	जालपा टेलीकॉम जनरल स्टोर	फाइबर	24195
4	435/04.03.23	14TH FC	एम/एस पठानिया इंजीनियर वर्क	पाइप	19634
	कुल				**52227**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-441 दिनांक 03.08.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा। उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में

नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना:-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	279	52	227	593	562	562	22395	14	56200	33805
2023-24	387	122	265	628	586	586	32432	96	58600	26168

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी

पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के प्रति गंभीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या%डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-440 दिनांक 02.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹42.14 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹42.14 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष

के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹50.57 लाख की जगह ₹ 08.43 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹42.14 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹75.86 लाख की जगह ₹118 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 42.14 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2022-23	44.99	42.76	26.99	2.22	17.99
2023-24	81.45	75.24	48.87	6.21	32.58
कुल	**126.44**	**118**	**75.86**	**8.43**	**50.57**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-439 दिनांक 02.08.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा। अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 42.14 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹42.14 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा

जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता ।

ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और संबद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था । इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहद की गई आदायगी को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था । अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-436 दिनांक 01.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ङ) क्रय की गई सामग्री ₹0.65 लाख का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी निम्न विवरणानुसार ₹65421 की क्रय की गई सामग्री/मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	शीर्ष	मद का नाम	मात्रा(cum)	भुगतान राशि (₹)
1	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	56/25.03.23	14वां वित्त आयोग	रेत	9.00	1166
2	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	56/25.03.23	14वां वित्त आयोग	बजरी	17.00	2067
3	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	58/25.03.23	14वां वित्त आयोग	रेत	7.50	972
4	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग	58/25.03.23	14वां वित्त आयोग	बजरी	15.00	1824

	तहसील धर्मपुर					
5	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	69/27.03.23	14वां वित्त आयोग	रेत	7.50	972
6	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	69/27.03.23	14वां वित्त आयोग	बजरी	15.00	1824
7	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	69/27.03.23	14वां वित्त आयोग	बोल्डर	4.00	717
8	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	70/27.03.23	14वां वित्त आयोग	रेत	6.50	842
9	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	70/27.03.23	14वां वित्त आयोग	बजरी	12.80	1556
10	रोशन लाल सरकारी ठेकेदार गाँव मारला डाकघर ब्रांग तहसील धर्मपुर	70/27.03.23	14वां वित्त आयोग	बोल्डर	7.00	1254

11	शर्मा स्टेस्नरी मार्ट धर्मपुर	325	14वां वित्त आयोग	स्टेस्नरी आइटम		2770
12	शर्मा स्टेस्नरी मार्ट धर्मपुर	322	14वां वित्त आयोग	स्टेस्नरी आइटम		5628
13	जालपा टेलीकॉम जनरल स्टोर	008/25.01.23	14वां वित्त आयोग	फाइबर		24195
14	एम/एस पठानिया इंजीनियर वर्क	435/04.03.23	14वां वित्त आयोग	पाइप		19634
						65421

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-431 दिनांक 30.07.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज भण्डार / स्टॉक रजिस्टर में करने के उपरान्त पुष्टि करवा ली जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(च).पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹ 0.02 लाख का अधिक भुगतान ।

हि0प्र0 पंचायती राज {वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को ₹ 2000 के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.संख्या	पदाधिकारी का नाम	वाउचर संख्या	मानदेय अवधि	भुगतान राशि	नियमानुसार भुगतान योग्य राशि	अंतर (₹)	विवरण
1	श्री बिहारी लाल	5THSFC/2023-24/P/15 दिनांक 29.02.2024	01.10.2022 से 31.01.2024 तक	14000	13600	400	नियमानुसार 16 माह की मासिक बैठक की कुल अदायगी:-6 माह*2 मासिक बैठक*300 प्रति बैठक= 3600 व 10 माह*2 मासिक बैठक *500 प्रति बैठक =10000(3600+10000 =13600)
2	श्रीमती चंचला देवी	5THSFC/2023-24/P/15 दिनांक 29.02.2024	01.10.2022 से 31.01.2024 तक	14000	13600	400	नियमानुसार 16 माह की मासिक बैठक की कुल अदायगी:-6 माह*2 मासिक बैठक*300 रुपये प्रति बैठक= 3600 व 10 माह*2 मासिक बैठक *500 प्रति बैठक =10000(3600+10000 =13600)
3	कुमारी रविता	5THSFC/2023-24/P/15 दिनांक 29.02.2024	01.10.2022 से 31.01.2024 तक	14000	13600	400	नियमानुसार 16 माह की मासिक बैठक की कुल अदायगी:-6 माह*2 मासिक बैठक*300 प्रति बैठक= 3600 व 10 माह*2 मासिक बैठक *500 प्रति बैठक =10000(3600+10000 =13600)

4	श्रीमती पवना देवी	5THSFC/2023-24/P/15 दिनांक 29.02.2024	01.10.2022 से 31.01.2024 तक	14000	13600	400	नियमानुसार 16 माह की मासिक बैठक की कुल अदायगी:-6 माह*2 मासिक बैठक*300 प्रति बैठक= 3600 व 10 माह*2 मासिक बैठक *500 प्रति बैठक =10000(3600+10000 =13600)
5	श्रीमती सुनीता देवी	5THSFC/2023-24/P/15 दिनांक 29.02.2024	01.10.2022 से 31.01.2024 तक	14000	13600	400	नियमानुसार 16 माह की मासिक बैठक की कुल अदायगी:-6 माह*2 मासिक बैठक*300 प्रति बैठक= 3600 व 10 माह*2 मासिक बैठक *500 प्रति बैठक =10000(3600+10000 =13600)
	कुल योग					**2000**	

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-432 दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मानदेय के रूप में अधिक भुगतान की गयी राशि को वसूल कर के पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा । अतः बिना सभा में उपस्थिति के सदस्यों को दिए गए मानदेय के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(छ) निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे:-

ग्राम पंचायत ब्रांग के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि व सामान्य निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि मनरेगा व सामान्य निधि के चयनित माह 03/23 व 02/24 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था । जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था । अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-444 दिनांक 05.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मानरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों की माप पुस्तिका तकनीकी सहायक द्वारा प्रस्तुत नही की गयी थी ,तकनीकी सहायक को माप पुस्तिका प्रस्तुत करने को कहा गया था परंतु तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अब आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत करवा दिया जाएगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था । परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है । सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का

नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 18/X/24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष नं0 —0177—2626670

19 OCT 2024 का0/प्रति 4717-4721

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 156/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ब्रांग, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 18.X.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष नं0 —0177—2626670

का0/प्रति

पत्र संख्या - 4 (1)
परिशिष्ट - (क)

Financial position of own sources & grants in aid(including 14th fc) of Gram Panchyat brang					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	3855131.02	604735	4459866.02	3402168	1057698.02
2023-24	1057698.02	530741	1588439.02	436000	1152439.02

Secre.
Gram Panchayat-Brang.
Dev. Block

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व स्रोत व अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		1152439.02
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		1201796.02
		अन्तर की राशि	49357.00

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

पैरा संख्या - 4(ii)
परिशिष्ठ - (ख)

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat brang					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	965016	912364	1877380	128315	1749065
2023-24	1749065	167156	1916221	460796	1455425
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book			1455425		
add:- interest of Rs 7393 taken in pass book as on 02.09.2022 but not taken in cash book,interest of Rs 8583 taken in pass book as on 06.12.2022 but not taken in cash book,interst of Rs 10165 taken in pass book as on 02.03.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12003 taken in pass book as on 03.06.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12533 taken in pass book as on 02.09.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 12089 taken in pass book as on 05.12.2023 but not taken in cash book,interest of Rs 11524 taken in pass book as on 04.03.2024 but not taken in cash book			74290		1529715
Balance as per Pass book					1529715
Net Difference					nill

Secretary
Gram Panchayat Brang
Dev. Block ...

ग्राम पंचायत ब्रांग
वि.ख. ..., जिला ...

हस्ताक्षर........
दिनांक........